

22/10/24

शार्थी उपस्थित नहीं। शार्थी ने यह स्थानान्तरण
शार्थीना पत्र न्यायालय 500 बसेडी में विचारधीन
प्रसं० 73/2022 उनबानी रामदुलारा वनाम शधेश्याम
वर्गों का न्यायालय 500 बडी में स्थानान्तरित किया
जाने हेतु पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश शर्मा के 500
बसेडी के विरुद्ध पेश किया था। चूंकि पीठासीन
अधिकारी श्री दिनेश शर्मा 500 बसेडी का स्थानान्तरण
अन्य जिले में हो चुका है। जिसके कारण अब यह
शार्थीना पत्र सारहीन हो जाता है। अतः शार्थी का यह
शार्थीना पत्र सारहीन हो जाने के कारण इसी स्टेज
पर स्थगित किया जाता है। इस ऑडिओकाबकी
प्रति न्यायालय 500 बसेडी को सूचनार्थ भिजवाई
जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम
की जाकर बाद तकमील दरिलख रफ़तर हो।
ओडेश सुनाया गया।

श्रीनिधि बी टी
जिला कलक्टर, धौलपुर